राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2014

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

उपनिवेशन विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.21(01)उप/2004 दिनांक 14.2.2013, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को भी राजस्व ग्रुप-6 विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.6(9)राज-6/96-पार्ट-39 दिनांक 8.12.2010 के अनुसार ही ग्राम पंचायतों में भी कार्यवाही करने का एतद् द्वारा निर्देश प्रदान किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.3(38)उप/2000-पार्ट-5 दिनांक 28.3.2013, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों यथा-सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबन्द निलामी द्वारा आवंटन आदि) को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को दिनांक 31.12.2013 तक एक मुश्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राशि की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई हैं ;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.19(25)उप/2012 दिनांक 23.5.2013, जिसके द्वारा पेच की बावड़ी लघु सिंचाई परियोजना के वर्णित क्षेत्र (अधिसूचना में) को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.19(19)उप/2013 दिनांक 5.6.2013, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.24(4)राज/उप/68 दिनांक 21.2.1969 से घोषित कॉलोनी क्षेत्र में से जिला चित्तौड़गढ़, तहसील-बेगूं, ग्राम बरनियास एवं मकनपुरा क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.4(11)कोल/96 दिनांक 27.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या-9 में संशोधन किया गया हैं ; एवं

6- अधिसूचना संख्या:एफ.3(16)उप/13 दिनांक 30.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान मृतक प्रतिरक्षा कर्मियों के आश्रितों एवं विकलांग प्रतिरक्षा कर्मियों को विशेष सहायता (भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम-6(3)-डी के अन्तर्गत जिला-जैसलमेर, तहसील-रामगढ़-1 की भूमि आवंटन करने के लिये आरक्षित की गई है।

जारी..2..

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़ के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(III) श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

(IV) श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. याचिका का उपस्थापन

श्री तरूण राय कागा, सदस्य, विधान सभा, चौहटन विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2014-2015 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2014-2015 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2014-2015 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

जारी..3..

5. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, 2014-2015, प्राक्कलन समिति "क" , 2014-2015, प्राक्कलन समिति "ख", 2014-2015 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

श्री राजपाल सिंह शेखावत (वि.सं.-139), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा :-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 28 जनवरी, 2014